Urgent
Fax/Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17 क्षे0 स्था0 (प्रतिनियुक्ति)–25/2012 खण्ड–(III).....................

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी,
अररिया, लखीसराय, गया, खगड़िया, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, मोतिहारी, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सारण, दरभंगा, भोजपुर, पूर्णियाँ, भागलपुर, कटिहार, नालन्दा, शेखपुरा, सिवान, पटना, सहरसा, बोधगया।

पटना, दिनांक ....

विषय :– निदेशालय का आदेश ज्ञापांक –975 दिनांक 30.06.2017, आदेश ज्ञापांक –976 दिनांक 30.06.2017, आदेश ज्ञापांक –977 दिनांक 30.06.2017, आदेश ज्ञापांक –978 दिनांक 30.06.2017 एवं आदेश ज्ञापांक –979 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा स्थानांतरित कर्मियों को बिना प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये विरमित करने के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशालय पत्रांक –1082 दिनांक 14.07.2017 एवं पत्रांक–1246 दिनांक–09.08.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि निदेशालय के उपरोक्त आदेशों द्वारा विभिन्न बंदोबस्त कार्यालयों में कार्यरत उच्चवर्गीय लिपिकों, निम्नवर्गीय लिपिकों, प्रारूपकों, अमीनों एवं अनुसेवकों का स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया था। निदेशालय द्वारा तत्पश्चात स्पष्ट निदेशित किया गया था कि प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना स्थानांतरित कर्मियों को अपने नव पदस्थापन से संबंधित बंदोबस्त कार्यालायों में योगदान करने हेतु विरमित कर दिया जाय। उनका वेतन भुगतान स्थानांतरित कर्मियों के नव पदस्थापित कार्यालयों से ही करने का भी आदेश संसूचित किया गया है। विभिन्न बंदोबस्त कार्यालयों से प्राप्त सूचनानुसार अबतक स्थानांतरित कर्मियों को विरमित नहीं किया गया है एवं उनके वेतनादि का भुगतान भी किया जा रहा है।

विदित है कि स्थानांतरित कर्मियों द्वारा वैसे कार्यालय से वेतन प्राप्त करना वित्तीय अनियमितता के श्रेणी के अंतर्गत आती है, जहाँ से उनका स्थानांतरण किया जा चुका है।

अनुरोध है कि निदेशालय के उपर्युक्त पत्रों के द्वारा स्थानांतरित कर्मियों को पत्र प्राप्ति के साथ ही विरमित करना सुनिश्चित किया जाय। अन्यथा दिनांक–10.09.2017 से स्थानांतरित कर्मी स्वतः विरमित समझा जाएगा। तदपश्चात् भी योगदान नहीं करने वाले कर्मियों के विरूद्ध प्रावधानानुसार प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन
ह0/–
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17 क्षे0 स्था0 (प्रतिनियुक्ति)–25/2012 खण्ड–(III)........................ **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी, राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, बोध गया/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

कृ0पृ0उ0

D:\year 2017\Rakesh Kr\Director\25-2012.docx

ज्ञापांक :— 17 क्षे0 स्था0 (प्रतिनियुक्ति)—25/2012 खण्ड—(III)........................ **पटना, दिनांक** :—

प्रतिलिपि :— सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 17 क्षे0 स्था0 (प्रतिनियुक्ति)—25/2012 खण्ड—(III)........................ **पटना, दिनांक** :—

प्रतिलिपि :— सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 17 क्षे0 स्था0 (प्रतिनियुक्ति)—25/2012 खण्ड—(III)........................ **पटना, दिनांक** :—

प्रतिलिपि :— सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 17 क्षे0 स्था0 (प्रतिनियुक्ति)—25/2012 खण्ड—(III)........................ **पटना, दिनांक** :—

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 17 क्षे0 स्था0 (प्रतिनियुक्ति)—25/2012 खण्ड (III)-1396 **पटना, दिनांक** :—06/9/2017

प्रतिलिपि :— विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

06/9/17
निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

D:\year 2017\Rakesh Kr\Director\25-2012.docx

25